मोहम्मद अब्बास / अब्दुल गनी 55/2018

22/12/22

पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को
जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पालन किये जाने
का निर्देश दिया। पत्रावली का अवलोकन किया
तथा मूल वाद डिक्रीदार के अनुकूल हो चुकी है
ता० डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः प्रस्तुत
में उभय पक्षगणों का मूल वाद के निस्तारण तक
जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पालन किया जाना है।
विवादित आराजी ख.नं. 908 व 924 वाके ग्राम
करहोली तहसील हाड़ जिला कोटा में राजस्व
रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नस्तर के लायक हो दाखिल
दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाय।